न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

श्री मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई,
प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स वर्षा दूध डेयरी,
आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
स्थाई पताः नेहडा की ढाणी, मंदावास, माडावास, जिला–पाली – 306421

F.S.S.Act Case No. 65/2025

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

प्रतिवादी मुकेश विश्नोई

–: निर्णय :– **दिनांक 17 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 10–3–2025 को मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता श्री मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (खुला) का नमूना संख्या S-2602, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः750/FSSA/2025 दिनांक 02–8–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17–10–2025 को प्रतिवादी मुकेश विश्नोई ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17–10–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 10–3–2025 को 02–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर विक्रेता व प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई, जाति– विश्नोई, निवासी– नेहडा की ढाणी, मंडावास, मांडावास, जिला– पाली उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई के निरीक्षण के दौरान मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई के अन्दर एक प्लास्टिक के कैन में लगभग 22 किलोग्राम

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

खाद्य पदार्थ घी (खुला) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई के अन्दर प्लास्टिक के कैन में रखे हुए 22 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी (खुला) में से 800 ग्राम घी (खुला) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/— (रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (खुला) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा (200—200 ग्राम) में भरा एवं चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2602, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (खुला) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी (खुला) के चारों नमूना बोतलों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा घी (खुला) की चारों नमूना शीशीयों को अलग—अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 12—3—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 10—3—2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई से खाद्य पदार्थ घी (खुला) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी के नमूना

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज०)

संख्या S-2602 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./168/Act/2025/174 दिनांक 02—4—2025 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2602, असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रतिवादी विक्रेता मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई को प्रेषित की गई। जिस पर प्रतिवादी मुकेश विश्नोई द्वारा खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2602 के द्वितीय भाग की जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से करवाये जाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2602 के द्वितीय भाग को विश्लेषण जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुरु को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्याः 750/FSSA/2025 दिनांक 02—8—2025 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2602, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई, प्रतिवादी विक्रेता एवं प्रोपराईटर, वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमूना संख्या S-2602) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमूना संख्या S-2602) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही, स्थाई पताः नेहडा की ढाणी, मंदावास, माडावास, जिला— पाली पर राशि रुपये 25,000 / — (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत तथा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को आदेशित किया जाता है कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित घी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सीज किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। साथ ही, प्रतिवादी मुकेश विश्नोई पुत्र श्री सदाराम विश्नोई, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स वर्षा दूध डेयरी, आमलारी रोड़, दांतराई, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय / आदेश सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)